



समक्ष अध्यक्ष मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक/2018-19

निगरानी-0560/2019/सीहोर/भू0रा0

1. महेश आ. शिवचरण पवार आयु 50 वर्ष,
निवासी ग्राम धोधरा तहसील नसरुल्लागंज
2. परसराम आ0 रामप्रसाद पवार आयु वयस्क,
निवासी ग्राम-खरसानिया तहसील नसरुल्लागंज.....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

अभिभाषक श्री वी.के. शीवात्मक
द्वारा आज दिनांक 1.6.19/19
को पेश।

हरिप्रसाद आ0 देवलाल परमार आयु वयस्क,

द्वारा जनरल पॉवर ऑफ अटोनी रामदीन पवार

निवासी ग्राम धोधरा तहसील नसरुल्लागंज

जिला सीहोर म0प्र0प्रतिनिगरानीकर्ता

309

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता विरुद्ध आदेश
दिनांक 27.02.2019 हरिप्रसाद विरुद्ध महेश व अन्य प्रकरण
क्रमांक 195/अपील/निगरानी/2009-10 पारित द्वारा श्रीमान
अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल म0प्र0

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-560/2019/ल.है.र/भू.सं.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-4-2019	<p>आवेदकगण की ओर से श्री एस.के. गुरोंदिया, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा निगरानी प्रकरण में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ग) के अन्तर्गत निगरानी में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी का प्रावधान समाप्त होने से यह निगरानी अग्रहय की जाती है ।</p> <p><i>[Signature]</i> सी.डी.</p> <p><i>[Signature]</i> अध्यक्ष</p>	